

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

राष्ट्र किंवदं केश नं०-05/2020-21

शारदा देवी

बनाम

अफताब अंसारी, वगै०

24/7/2020

—: आदेश :-


आवेदिका शारदा देवी पिता-स्व० राजकुमार भगत वों पति शालीग्राम भगत, सा०-महडा, थाना-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा वों सुनीता कुमारी, पिता-स्व० राजकुमार भगत, पति-दिलीप भगत, सा०-महडा, अंचल-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा ने मौजा कठौन, जमावंदी सं०-63, दाग नं०-1439, 1440, 1442, 1443, 1568, 1567 रकवा क्रमशः००-०८-13 धूर, रकवा-००-1०-०५ धूर, रकवा-००-०५-०१ धूर, रकवा-००-०४-०१ धूर, रकवा-०३-०१-१० धूर जमीन द्वितीय पक्ष अफताब अंसारी वों महताब अंसारी वों सहताब अंसारी वों इकबाल अंसारी वों असफाक अंसारी वों इसमाईल अंसारी वों गालीब अंसारी, पेसरान-स्व० अलीमुद्दिन अंसारी, सा०-नाजीर टोला कठौन, अंचल-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा के जमीन मौजा कठौन जमावंदी सं०-49 दाग नं०-1849 रकवा-०१-14-18 धूर एवं दाग नं०-1895, रकवा-०१-०६-11 धूर कुल रकवा-०३-०१-०९ धूर जमीन का आपसी बदलैन के लिए आवेदन किया है।


आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी पोडैयाहाट को भेजकर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी पोडैयाहाट के पत्रांक-186/रा० दिनांक-14.05.2020 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी पोडैयाहाट के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक प्रथम पक्ष का जमीन मौजा कठौन नाजीर टोला में पडता है तथा द्वितीय पक्ष का जमीन मौजा कठौन महडा सीमा पर पडता है। दोनों पक्ष के बीच आपस में बाप-दादा के समय से जमीन बदलैन कर जोत-आबाद करते आ रहे हैं और शांतिपूर्वक दखलकार है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अंचल अधिकारी पोडैयाहाट के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आपसी बदलैन की अनुमति दी जाती है। अंचल अधिकारी पोडैयाहाट को सूचित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।


अंचल
एन

8/7/20
अ.प.प.२०